डीओ.क्र.एन.सी.बी.सी./एम.एस./1/2015

प्रिय, श्रीमती अग्नीहोत्री

<u>विषय :- अन्य पिछडा वर्गीयों का उप-वर्गीकरण.</u>

कृपया सह सचिव (बी.सी.) के पत्र क्र.1025/14/2011-बी.सी.-II, दिनांक 13.02.2014 का अवलोकन करे। इस पत्रमें पिछडा वर्गीयोंके राष्ट्रीय आयोग को (एनसीबीसी) अन्य पिछडा वर्गीयोंके केंद्रीय सूची में अन्य पिछडा वर्गीयों का उप-वर्गीकरण करने के मामले की सम्यक दृष्टीसे जाँच करके अपनी शिफारस तथा सुझाव केंद्र सरकार को भेजने की बिनती की है। इसमे अन्य पिछडा वर्गीयोंका उप-वर्गीकरण के लिए कौनसे तौरतरिके अपनाने चाहिए तथा अन्य पिछडा वर्गीयोंके कितने उपवर्ग होने चाहिए यह मुद्दे और इसके साथ जुडे हुए अन्य मुद्दोंके बारे में शिफारस तथा सुझाव हो।

2. इस विषय पर आयोगने अनेक बैठकों का आयोजन किया और इस विषयपर राज्य सरकार का दृष्टीकोन क्या है, यह पूछ लिया। इस कालमें इस विषयपर जहाँ जहाँ आयोगने सार्वजनिक सुनवाई की, वहाँ वहाँ राज्य सरकारोंसे चर्चा की।

3. आयोगने विविध अहवालों का, न्यायालयीन निर्णयोंका तथा नौ राज्योंसे लिखित रुप में प्राप्त निवेश का अभ्यास किया। आयोगने इस विषय के विविध पहलूओंका सावधानीसे परीक्षण किया, उनपर चर्चा भी और अन्य पिछडा वर्गीयोंका उप-वर्गीकरण करने के प्रस्ताव के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार किया। इस प्रतिवेदन की एक प्रति अग्रेषित की है। राज्य सरकारसे बिनती है की, इस प्रतिवेदन का अभ्यास करे और उसमें दिए हुए सिफारसोंका विचार करे।

4. आयोग खास तौरपर निम्मलिखित बातें चाहता है।

i. अन्य पिछडा वर्गीयों का उप-वर्गीकरण राष्ट्रीय स्तरपर करने का काम शुरु करने की अनुमती देनेका सरकार का नीती निर्णय।

ii. इस प्रतिवेदन में सूचित किए हुए कार्यपद्धती, उप-वर्गों की संख्या और अन्य विषयोंको सरकार की सैद्धांतिक मान्यता।

iii. आय.सी.एस.एस.आर. जैसे विशेषज्ञ संस्थाकी मदद लेके यह राष्ट्रव्यापी प्रकल्प शुरु करने के लिए आवश्यक निधी उपलब्ध करने की सहमती।

5. हम इस बारेमें सरकार का जल्द निर्णय की प्रतिक्षा कर रहें है।

धन्यवाद

भवदीय

(अे.के. मंगोत्रा)

<u>साथमें : प्रतिवेदन (15 पन्ने)</u>

श्रीमती अनिता अग्नीहोत्री,
सचिव,
सामाजिक न्याय और सक्षमीकरण मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दूरध्वनी : 23382683,
फॅक्स : 23385180

पिछडा वर्गीयोंके लिए राष्ट्रीय आयोग

अन्य पिछडा वर्गीयों के उप-वर्गीकरण के प्रस्ताव के बारे में प्रतिवेदन

1. सर्व भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाना यह भारतीय संविधान का विषय है। संविधान के विषय में स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व का समावेश है। संविधान की धारा 14 के अनुसार शासन कोई भी व्यक्ती को कानून के सामने समता और कानून की सबको समान सुरक्षा देने के लिए इन्कार नही करेगा। इसका अर्थ यह है की, जो असमान है, उनके साथ समान रुप से बर्ताव नहीं किया जा सकता। असमानों की प्रगती करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक रुप से दबे हुए वर्गोंको प्रगत वर्गोंके साथ लाने के लिए उपाययोजना करनी चाहिए। संविधान की धारा 16(4) और 15(4) के अंतर्गत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रुपसे पिछडे हुए वर्गोके नागरिकोंकी प्रगती करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओंमें प्रवेश देने के लिए और उनमें नियुक्ती करने के लिए आरक्षण देने का अधिकार है।

2. संविधान लागू होने के बाद तथा उसके पहले की दक्षिण भारत के कई राज्योंने शैक्षणिक संस्थाओंमे प्रवेश देना और उनमें नियुक्त करना इन विषयोंमें पिछडे हुए वर्गोंको आरक्षण देना शुरु किया। चुँकी ऐसे वर्गोंको केंद्रीय सेवाओंमें और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओंमें आरक्षण नहीं दिया था, इसलिए भारत सरकारने संविधान के धारा 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की स्थापना की। मंडल आयोग ने शैक्षणिक तथा सामाजिक रुपमें पिछडे वर्गोंको शैक्षणिक रियायत, आर्थिक सहाय्य, यंत्रणात्मक बदलाव इनके बारे में सिफारिश किए और उसके अलावा शासकीय सेवाओंमें उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारस की है। यह सिफारस करते वक्त आयोग ने संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के अनुसार सामाजिक तथा शैक्षणिक रुपसे पिछडे वर्ग तथा अन्य पिछडे वर्गोंके उप-वर्गोंके आरक्षण की संख्या के बारे में सर्वोच्च न्यायालयने कानून द्वारा रखी हुअी जो मर्यादा घोषित की थी वह ध्यानमें रखी थी। श्री. एल.आर. नाईक, आयोग के एक सदस्यने आयोग के प्रतिवेदन के वर्ग VIII से आगे के मदोंके के बारेमें अपना विरोध जताया था और उनकी टिप्पणी के अनुसार अन्य पिछडे वर्गोंकी राज्य अनुसार सूची दो विभागोंमें बाँटी जाय : एक निचले पिछडे वर्ग और दुसरा अन्य दबे हुए पिछडे वर्ग। दबे हुए पिछडे वर्ग का अर्थ है की, प्रगत पिछडे हुए वर्गों की तुलनामें वे सबसे पिछडे है। किन्तु उस दिन में एम.आर. बालाजी बनाम म्हैसूर राज्य (एआयआर 1963 एससी 649) के अनुसार जो कानून अस्तित्वमें था उसको ध्यानमें रखते हुए आयोग के अन्य सदस्योंने श्री. एल.आर. नाईक की राय नहीं मानी।

3. मंडल कमिशन के सिफारसों के अनुसार भारत सरकारने कार्यालयीन आदेश 36012/31/90 इएसटीटी (एससीटी), दि.13 अगस्त 1990 और 25 सितंबर, 1991 जारी किए। दिनांक 13 अगस्त 1990 के कार्यालयीन आदेश के अनुसार सामाजिक तथा शैक्षणिक रुपसे पिछडे हुए वर्गोंको भारत सरकार के नागरी सेवाओं के पदोंमें 27% आरक्षण का प्रावधान किया है। दिनांक 25 सितंबर 1991 के आदेश में, दिनांक 13 अगस्त 1990 के आदेश में बदलाव किया है, वह इस प्रकार है :-

"……

2 (i) एस.ई.बी.सी. के लिए आरक्षित किये हुए नागरी सेवाओं के पदोंमें जा 27% आरक्षण का प्रावधान किया है, उसमें एस.ई.बी.सी. के गरीबतर वर्गोंको प्राधान्य दिया जाएगा। यदि पर्याप्त मात्रा में ऐसे उमेदवार उपलब्ध नहीं है, तो जो पद रिक्त रहेंगे, उनके लिए अन्य एस.ई.बी.सी. उमेदवारोंकी नियुक्ती की जाएगी।

(ii) आज अंमल में हो रहीं आरक्षण की योजनाओंमें जिन आर्थिक दृष्टीसे पिछडे हुए अन्य लोगोंके लिए कोई भी आरक्षण उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भारत सरकार की नागरी सेवाओं के पदों में 10% आरक्षण किया जाएगा।

(iii) एस.ई.बी.सी. के गरीबतर लोग तथा जिन आर्थिक दृष्टीसे पिछडे हुए अन्य लोगों के आज अंमलमें हो रही आरक्षण की योजना में लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगोंको पहचानने के लिए मानक अलग रुपसे जारी किये जा रहें है।

4. सर्वोच्च न्यायालयने इंद्र सहानी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (डब्ल्यूपी (सिव्हिल) नं.930 ऑफ 1990) रिपोर्टेड इन (1992) एसयूपीपी 3 एससीसी 217। इस मामले ने नौ न्यायाधीशोंके खंडपीठ ने जो निर्णय दिए थे उसका विषय यह कार्यालयीन आदेश है। न्यायमूर्ती श्री. बी.पी. जीवन रेड्डी इनके निर्णयमें 14 प्रश्नों की चर्चा की थी। इनमें से कुछ इस प्रकार है।

प्रश्न 3 :

3 (अ) धारा 16(4) में दिए हुए "नागरिकों को पिछडा हुआ वर्ग" इसका अर्थ क्या है?

(ब) क्या पिछडा वर्ग सिर्फ जाती के आधारपर पहचाना जा सकता है?

(क) क्या धारा 16(4) में दिया हुआ पिछडापन शैक्षणिक और सामाजिक दोनों प्रकार का होना चाहिए?

(ड) क्या पिछडे वर्ग को पहचानने के लिए मीन्स (व्यवसाय) टेस्ट का उपयोग किया जा सकता है? और यदि उत्तर हाँ है, तो क्या इस टेस्ट का उपयोग करना अनिवार्य है?

(इ) अन्य तरह सें पिछडा हुआ घोषित किया वर्ग अनुसूचित जाती / जमातीयों के समान रखा जा सकता है?

(फ) शासन की सेवा में प्रतिनिधीत्व का पर्याप्त होना।

उपरोक्त प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है:

3(अ) भारत में जाती यह सामाजिक वर्ग हो सकता है और आम तौरपर होता है। यदि वह सामाजिक तरह से पिछडा हुआ है, तो वह धार 16(4) के लिए पिछडा हुआ वर्ग है। हिंदूओं में ऐसे अनेक व्यावसायिक वर्ग है, पंथ है, संप्रदाय है, जो ऐतिहासिक कारणोंसे सामाजिक दृष्टीसे पिछडे हुए है। धारा 16(4) के लिए वह भी सामाजिक दृष्टी से पिछडे हुए वर्गों में शामिल है। (परिच्छेद 749 से 779 तक)

(ब) कानून तथा संविधान में पिछडे वर्गों को पहचानने के लिए कौनसी भी पद्धती विहित नहीं की गयी है। ऐसी कोई पद्धती विहित करना न्यायालय को भी मुमकीन नहीं है और ऐसी सलाह भी नहीं दी जा सकती। इस कार्य के लिए जिन अधिकारीयों की नियुक्ती की गयी है, उनपर यह निर्भर है। जो पद्धती सुविधा जनक हो उसका वह इस्तेमाल कर सकते है और जब तक इस पद्धतीसे किए हुए सर्वेक्षण से पूरी जनता का सर्वेक्षण होता है, तब तक इसके लिए कोई आपत्ती उठायी नहीं जा सकता। पिछडे हुए वर्गों की पहचान जाती के वर्ग और लोगों के विभागसे होगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत व्यावसायिक गुट, लोगोंके गुट और वर्गोंसे की जा सकती है। यह प्रक्रिया जहाँ जाती पायी जाती है, वहाँ से शुरु की जा सकती है और पिछडेपण का निर्णय करने के लिए जो मानक निश्चित किए है, उनका उपयोग किया जा सकता है और उनकी पूर्तता हो रही है या नहीं, यह निश्चित किया जा सकता है। यदी यह किया, तो धारा 16(4) के अर्थ में तथा उपयोग के लिए नागरिकोंका पिछडा हुआ वर्ग सुनिश्चित होगा। अन्य व्यावसायिक गुटों के लिए जमाती और वर्गो के लिए ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी जा सकती है और पूरी जनता को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। समाज के सर्व उपलब्ध गुट, विभाग और वर्गांका विचार हो यह इस प्रक्रिया का मध्यवर्ती विचार और उद्देश होना चाहिए। देशकी ज्यादातर लोकसंख्या के लिए जाती के आधारपर समाज का गुट या वर्ग निश्चित किया जा सकता है, इसलिए जाती के आधारपर इस सर्वेक्षण किया जा सकता है और बाद में अन्य गुट, विभाग और वर्गों की तरफ हम जा सकते है। (परिच्छेद 780 और 785)

(क) धारा 16(4) इसमें नागरिकों के पिछडे वर्गो का जो अर्थ है और धारा 15(4) में सामाजिक और आर्थिक दृष्टी से पिछडे हुए वर्गों का अर्थ है, वह एक ही है, ऐसा समझना उचित नहीं है। धारा 15(4) का अर्थ अधिक व्यापक है। उसमें सामाजिक पिछडेपनपर जोर है। भारतीय संदर्भमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछडेपन पर परस्परावलंबी है। (परिच्छेद 786 - 789)

(ड) क्रिमीलेअर वर्जित किया जा सकता है और करना चाहिए। (परिच्छेद 790 - 793)

(इ) एकाध वर्ग को अनुसूचित जाती और जमाती को समान समझने के लिए वह वर्ग पिछडा वर्ग संबोधित किया जाना चाहिए यह जरुरी नहीं है। (परिच्छेद 794 - 797)

(फ) एकाध वर्ग का शासन सेवा में पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व होना यह उस सरकारके समाधान पर निर्भर है। उसकी न्यायिक जाँच की अधिकारीं के अन्य मामले की तरह उनके समाधान पर निर्भर है।

प्रश्न 4 :

4(अ) क्या पिछडे हुए वर्ग सिर्फ और एकमात्र आर्थिक मानके आधारपर ही पहचाने जा सकते है ?

(ब) क्या जाती का आधार न लेते हुए सिर्फ व्यवसाय और उससे प्राप्त हो रहा राजस्व यहीं मानक पिछडा हुआ वर्ग पहचानने के लिए उपयोग में लाए जा सकते है ?

संक्षिप्त उत्तर :

4(अ) सिर्फ और एकमात्र आर्थिक मानक के आधारपर पिछडा वर्ग पहचाना नहीं जा सकता है। (परिच्छेद 799)

(ब) यदि इस बारेमें सलाह प्राप्त हुई है, तो सरकार या अन्य अधिकारीयों को जाती का संदर्भ लिए बिना सिर्फ व्यवसाय राजस्व के आधारपर पिछडे हुए वर्ग के नागरिक की पहचान करने की अनुमती है। (परिच्छेद 800)

प्रश्न 5 :

क्या पिछडे वर्गों का पिछडे वर्ग और अधिक पिछडे हुए वर्ग ऐसा उप-वर्गीकरण किया जा सकता है?

संक्षिप्त उत्तर :

पिछडे वर्गों का पिछडे वर्ग की और अधिक पिछडे हुए वर्ग ऐसा उप-वर्गीकरण करने के लिए संविधान की कोई बाधा नहीं है। (परिच्छेद 801 - 803)

प्रश्न 10 :

दुसरे कार्यालयीन आदेश में पिछडे वर्गो के गरीबतर विभागों के बारे में दिए हुए आदेश धारा 16 के अंतर्गत अनुज्ञेय है ?

संक्षिप्त उत्तर :

इस न्यायीक आदेश के परिच्छेद 843, 844 में विस्तार से बताये हुए अनय पिछडे वर्गों के विविध वर्गों ने जो पिछडेपन को समझकर उसपर कार्य किया तो उपरोक्त दि.25 सितंबर 1991 के कार्यालयीन आदेश में पिछडे हुए वर्गों के गरीबतर वर्ग और अन्य इनमें किया हुआ फर्क अवैध नहीं है। (परिच्छेद 843 - 844)

प्रश्न 11 :

आरक्षण के कोई भी योजना में जिन अन्य आर्थिक पिछडे वर्गों को शामिल नहीं किया है, उनके लिए सेवा में जो 10% आरक्षण दिनांक 25 सितंबर 1991 के कार्यालयीन आदेश द्वारा दिया है, क्या वह धारा 16 के अनुसार अनुज्ञेय है।

संक्षिप्त उत्तर :

आरक्षण के कोई भी योजना में जिन अन्य आर्थिक पिछडे वर्गों को शामिल नहीं किया है, उनके लिए सेवा में जो 10% आरक्षण दिनांक 25 सितंबर 1991 के कार्यालयीन आदेश द्वारा दिया है, वह धारा 16 के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और वह रद्द कर दिया गया है। (परिच्छेद 845)

5. मा. न्यायाधीश महोदयने आगे ऐसा उत्तर दिया है की धारा 16(4) के अनुसार पिछडे वर्ग में अन्य पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाती, जमाती और अन्य कुछ पिछडे वर्ग भी शामिल है। धारा 16(4) का जोर सामाजिक पिछडेपन पर है। सामाजिक पिछडेपन से शैक्षणिक और आर्थिक पिछडेपन का उद्‌गम होता है। यह एक दूसरे को सहयोग देते है और भारतीय समाजके नीचले व्यवसायों से जुडे हुए है। भारतमें जाती सामाजिक वर्ग हो सकती है और आम तौर पर होती है। धारा 16(4) में नागरिकों का पिछडापन पहचानने के लिए सिर्फ आर्थिक पिछडेपन का उपयोग नहीं हो सकता। धारा 46 में जिन दुर्बल विभागोंका उल्लेख किया है उसमें धारा 340 में उल्लेखित और धारा 16(4) में सम्मिलित एसईबीसी यह सम्मिलित है।

मा. न्यायाधीश महोदय ने आगे यह भी स्पष्ट किया है, धारा 16(4) के उपयोग के लिए पिछडे वर्गों का ज्यादापिछडे वर्ग और पिछडे वर्ग ऐसा वर्गीकरण करने के लिए कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। यह वर्गीकरण सामाजिक पिछडेपन के श्रेणीपर निर्भर है। ऐसा वर्गीकरण करते समय विविध पिछडे वर्गों में समानत रखनी चाहिए और उनका पिन्डन नहीं करना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए की, एक या दोन वर्ग पूरा हिस्सा ले जाते है और बाकी पिछडे वर्ग वैसे ही रह जाते है।

सर्वोच्च न्यायालयने दि.13 अगस्त 1990 और 25 सितंबर 1991 के क्रिमीलेअर वर्जित करने के अधीन होते हुए आर्थिक मानक सामाजिक प्रगती के लिए उठाने का कदम मानते हुए अन्य पिछडे वर्गो के लिए 27% आरक्षण प्रदान करने के आदेश का पुष्टीकरण किया। साथ में न्यायालयने यह भी आदेश दिया की, पिछडे हुए वर्गों के नागरिकों की सूचीमें शामिल करने के लिए आए हुए आवेदन तथा ऐसी सूचीमें ज्यादा अंतर्भाव और कम अंतर्भाव करने के शिकायतों का अभ्यास करना और सिफारिस करना इसके लिए एक स्थायी स्वरुप की संस्था का गठन हो, तथा सामाजिक दृष्टीसे प्रगत वर्ग विभाग (क्रिमीलेअर) का अन्य पिछडे हुए वर्गोंसे अलग करने के प्रक्रिया के लिए कुछ मानदंड तय करना यह भी उस संस्था का कार्य हो। यह 13 अगस्त 1990 के कार्यालयीन आदेश का अनुपालन इस क्रिमीलेअर को वर्जित करने के अधिन होगा। कार्यालयीन आदेश दिनांक 25 सितंबर 1991 का परिच्छेद (i) वैध ठहराया गया है। यह परिच्छेद सामाजिक पिछडेपन के श्रेणी के आधारपर पिछडे और ज्यादा पिछडे वर्गोंमें फर्क करते है और उनमें आरक्षण के लाभों का समान और विवेकपूर्ण आधारपर वितरण करते है। ऐसा पढना, समझना और अर्थ लगाना चाहिए। कार्यालयीन आदेश दिनांक 25 सितंबर 1991 का परिच्छेद (ii) जो आर्थिक दृष्टीसे पिछडे हुए वर्गों के लिए 10% आरक्षण देता है, वह अवैध ठहराया गया है।

6. प्रश्न क्र.5 याने, ''क्या पिछडे वर्गों का आगे पिछडे वर्ग और अधिक पिछडे हुए वर्ग ऐसा उपवर्गीकरण किया जा सकता है'', इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त मा. सर्वोच्च न्यायालयने एम.आर. बालाजी बनाम म्हैसूर सरकार (एआयआर 1963 एससी 649 में यह निर्णय दिया की, धारा 15(4) के अंतर्गत पिछडे हुए वर्गों का पिछडे हुए वर्ग और अधिक पिछडे हुए वर्ग ऐसा उपवर्गीकरण अपेक्षित नहीं था। इंद्र सहानी मामले में इस निर्णय पर सवाल उपस्थित किए गए और बालाजी मामले के इस तत्वमें कोई न्याय नहीं है। इसके बाद के.सी. वसंतकुमार बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में 1985 एसयूपीपी एससीसी 714, सर्वोच्च न्यायालयने ऐसा निर्णय दिया की, (यदि दोनो वर्ग अधिक प्रगत वर्गोंसे बहुत पिछडे है तो) पिछडे हुए वर्गोंमें पिछडेहुए वर्ग और ज्यादा पिछडे हुए वर्ग ऐसा वर्गीकरण

हो सकता है। सच में ऐसा वर्गीकरण ऐसे अधिक पिछडे हुए वर्गो की मदद के लिए आवश्यक होगा अन्यथा जो पिछडे वर्ग ज्यादा पिछडे हुए वर्गों से थोडेसे प्रगत है, वो ही सब सीटें (जगह) ले जाएँगे।

इंद्र सहानी मामले के निर्णय के 802 वे परिच्छेद में मा. न्यायाधिश महोदय ने ऐसा निर्णय दिया है की, पिछडे वर्गोंका पिछडे वर्ग और ज्यादा पिछडे वर्ग ऐसा वर्गीकरण करने के लिए कानून का या संविधान का कोई आक्षेप नहीं है। आगे उनका कहना है की, ऐसा वर्गीकरण करना आवश्यक है ऐसा नहीं है, लेकीन ऐसा वर्गीकरण किया तो वह वैध होगा। न्यायाधीशने उसके लिए दो व्यावसायिकों का उदाहरण दिया है - सोनार और वडार (पत्थर काटने वाले)। यदि दोनों एक गुट में शामिल किया तो सोनार लोग सब आरक्षित पद ले जाएँगे और वडारों के लिए कोई भी पद नहीं रहेगा। इसलिए सरकारको सोचना चाहिए की अन्य पिछडे वर्गोंने भी उपवर्गीकरण करना चाहिए ताकी पिछडे वर्गोंमें ज्यादा पिछडे हुए वर्गों को वो लाभ मिले, जो उनके लिए है। उसके लिए उपवर्गीकरण कैसा करे और फर्क की सीमारेषा कहाँ खीची जाए यह शासन तथा आयोगपर निर्भर है और जब तक वह सही तरह से किया जा रहा है, तब तक न्यायालय इसके बीच ध्यान नहीं देगा। इस संदर्भ में आंध्रप्रदेश में किए हुए वर्गीकरण का भी संदर्भ लिया गया है। वहाँ पिछडे वर्ग चार उपवर्ग में बाँटे गए है। गुट अ में अमूलवासी जातीयाँ, विमुक्त जातीयाँ, भटकने वाली और अर्ध भटकनेवाली जातीयाँ शामिल है। गुट ब में व्यावसायिक गुट शामिल है,जैसे टॅपर (पेडसे शराब निकालने वाले) बुनाई करनेवाले, सुतार, लोहार, सोनार, कमसलिन इत्यादी। गुट क में अनुसूचित जाती के लोगों में इसाई धर्म अपनाया है, वह लोग और उनके वंशज, गुट ड में वो जाती /जमाती गुट शामिल है जो गुट अ, ब, क में शामिल नहीं है। पिछडे हुए वर्गो के लिए जो पद आरक्षित किये है, उनके 25% पद इन गुटों को जनसंख्या के प्रमाण में बाँटे गए है। इस वर्गीकरण को न्यायालयीन निर्णय आंध्रप्रदेश शासन बनाम यू.एस.व्ही. बलराम (1972) 1 एससीसी 660 इस मामलेमें उचित ठहराया है। इससे यह जाहीर होता है की पिछडे वर्गोमें भी उचित आधारपर उपवर्गीकरण हो सकता है। यू.एस.व्ही. बलराम मामले में नौ न्यायाधिशोंके खंडपीठने जो निर्णय जाहीर किया है उसके आधारपर यदि अन्य पिछडे हुए वर्गों का उपवर्गीकरण उचित आधारपर किया गया ताकी उनके वर्गों की जनसंख्या के प्रमाण में 27% आरक्षित पदोंमें से पदों का लाभ मिलेगा, तो वह न्यायोचित होगा, इसमें संदेह नहीं है।

7. अन्य पिछडे वर्गोंकी केंद्रीय सूची में शामिल पिछडे वर्गों का उपवर्गीकरण करने के बारे में केंद्रीय सामाजिक न्याय और सक्षमीकरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय विभाग बी.सी. II इन्होंने अपने राष्ट्रीय पिछडे वर्ग को लिखे हुए पत्र क्र.एफ क्र.12015/14/2011 बी.सी. II, दिनांक 13 फरवरी 2014

में ऐसा लिखा की पिछडे वर्ग वर्ग के उपवर्गीकरण का मामला उनके विचाराधीन है और इस मामलेपर राष्ट्रीय पिछडे वर्गोंका आयोग का ध्यान आकर्षित किया। इस मामले का पूर्ण रुपसे अभ्यास करने के लिए राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग को बिनती की गई की इस मामले पर चर्चा का आयोजन करें और आयोग इस मामलें में अपनी शिफारस दे दे। उसमे यह शिफारस भी शामिल हो की, ऐसा उपवर्गीकरण करने की पद्धती क्या हो, इतने वर्ग होंगे और अन्य संबंधित मामले। केंद्रीय सामाजिक न्याय सक्षमीकरण मंत्रालय के सह सचिव ने और एक पत्र क्र. 12015/14/2011 बी.सी. II, दिनांक 13 मार्च 2014 राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग के सदस्य को लिखे हुए पत्र में आयोग को बिनती की है की वे इस मामले का परीक्षण करें और मंत्रालय को उपवर्गीकरण के प्रगती के बारे में अवगत करा दे। उन्होंने दुसरा पत्र दि.22 एप्रिल 2014 को लिखकर इस मामलेमें तुरंत कार्यवाही करने की बिनती की। आयोगने 29 एप्रिल 2014 को एक बैठक का आयोजन किया और अपने संशोधन विभाग को यह आदेश दिया की जिन राज्य सरकारों ने उपवर्गीकरण किया है और वह नौकरीयों में और प्रवेशों के बारेमें अंमलमें ला रहें है, उनसे प्रतिवेदन माँगे जाए ताकी केंद्रीय सूची में अन्य पिछडे हुए वर्गोके उपवर्गीकरण के मामले का विचार किया जाए।

8. राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग के अध्यक्षने अन्य पिछडे वर्ग के उपवर्गीकरण तथा अन्य मामले के बारे में दिनांक 28 मई 2014 को सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण मंत्रालय को एक पत्र भेजा। उस पत्र के जबाब में मंत्रालयने आयोग को बिनती की की, आयोग अन्य पिछडे वर्गों के उपवर्गीकरण करना, उप-वर्गों की संख्या और अन्य विषयों के बारेमें कौनसे कदम उठाना आवश्यक है इसके बारेमें सुझाव दे। इसके स्मरणपत्र भेजे जा रहे है। आयोग के अध्यक्ष दिनांक 20 मई 2014 में सामाजिक न्याय और सक्षमीकरण के मंत्री महोदय को पत्र लिखा और अपनी चिंता जताई। तथा 10 जून 2014 को मा. प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और अन्य पिछडे वर्गों का उपवर्गीकरण करने की आवश्यकता बताई। इसमें यह कहा है की, अन्य पिछडे वर्गों की केंद्रीय सूची में वर्गीकरण किया नहीं है, इसलिए अन्य पिछडे वर्गो में जो प्रगत वर्ग है वो ही अन्य पिछडे वर्गों के लिए जो लाभ है वह उठा रहे है और अन्य पिछडे वर्गों में जो सचमुच दबे हुए और निचले वर्ग है, उनके हितकी हानी हो रहीं है। इसलिए अन्य पिछडे वर्गोंको वर्गीकरण किया जाए ताकी जिन अन्य पिछडे वर्गों की स्थिती बेहतर हो वही लोग अधिक पात्र अन्य पिछडे वर्गों के लिए रखे हुए लाभ न उठाए।

9. राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग ने दिनांक 7 मई 2014, 5 सितंबर 2014, 20 अक्टुंबर 2014 और 7 जनवरी 2015 को राज्य सरकार को पत्र लिखे और अन्य पिछडे वर्गों के वर्गीकरण के मामले पर

उनके दृष्टीकोन और सुझाव माँगे। जिन राज्योंने पहलेही उपवर्गीकरण किया है और अंमलमें लाया है या नहीं लाया है, उन्हें पत्र और स्मरणपत्र भेजें गए। उसके जवाब में कुछ राज्योंने लिखा है की, यह मामला उनके विचाराधीन है। कुछ राज्योंने अबतक जवाब नहीं भेजें है। राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग इस बारे में उन सभी राज्य सरकार के साथ तथा आयोगो के साथ जहा सार्वजनिक सुनवाई की गयी, चर्चा कर रहीं हे। जिन राज्योंसे अन्य पिछडे वर्गों के वर्गीकरण के बारे में उत्तर प्राप्त हुए है, वह इस प्रकार है :

अ.क्र.	राज्य	किससे प्राप्त	उपवर्गीकरण		
1	आंध्रप्रदेश और तेलंगणा	प्रधान सचिव, पिछडे वर्ग के कल्याण विभाग आंध्रप्रदेश इन्होंने सह सूचना आंध्रप्रदेश के बारे में भेजी है।	गुट	जाती की संख्या	% प्रतिशत आरक्षण का
			अ- अमूलवासी जनजाती	51	7
			ब- व्यावसायिकों के गुट	27	10
			क- जिन अनुसूचित जातीयों के लोगोंने इसाई धर्म अपनाया है वे और उनके वंशज	1	1
			ड- अन्य गुट	45	7
			इ- मुस्लिमों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टीसे पिछडे हुए लोग	14	4
			कूल	138	29
2	पाँडेचेरी	सचिव सदस्य, राज्य आयोग	गुट	जाती की संख्या	% प्रतिशत आरक्षण का
			अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी)	56	20
			पिछडे हुए मुस्लिम (बीसीएम)	3	
			सबसे पिछडे हुए वर्ग (एमबीसी)	11	13
			आत्यंतिक पिछडे हुए वर्ग (ईबीसी)	1	
			पिछडी हुई जनजातीयाँ (बीटी)	5	1
			कूल	76	34
3	कर्नाटक	सचिव सदस्य, राज्य आयोग	गुट	जाती की संख्या	% प्रतिशत आरक्षण का

			वर्ग 1	95	4
			वर्ग 2 (अ)	102	15
			वर्ग 2 (ब)	1	4
			वर्ग 3 (अ)	3	4
			वर्ग 3 (ब)	6	5
			कूल	207	32
4	हरियाना	प्रधान सचिव, पिछडे वर्ग के तथा अनुसूचित जाती का कल्याण विभाग	गुट	जाती की संख्या	% प्रतिशत आरक्षण का
			गुट अ	71	16
			गुट ब	6	11
			कूल	77	27
			खास पिछडे हुए वर्ग	5	27% के उपर 10%
5	झारखंड	उप सचिव, मानव ससांधन, प्रशासकीय सुधार और राजभाषा विभाग	गुट		% प्रतिशत आरक्षण का
			आत्यंतिक पिछडे हुए वर्ग		8
			पिछडे हुए वर्ग		6
			कूल		14
6	पश्चिम बंगाल	सह आयुक्त, पिछडे वर्ग कल्याण विभाग	गुट	जाती की संख्या	% प्रतिशत आरक्षण का
			अ- ज्यादा पिछडा वर्ग	66	10
			ब- पिछडा वर्ग	77	7
			कूल	143	17
7	बिहार	सामाजिक न्याय और सक्षमीकरण मंत्रालय	गुट		% प्रतिशत आरक्षण का
			बीसी-II (पिछडा हुआ वर्ग 2)		12
			बीसी-I (पिछडा हुआ वर्ग 1)		18
			अन्य पिछडे वर्ग की महिलाएं		3
			कूल		33
8	महाराष्ट्र	सामाजिक न्याय और सक्षमीकरण मंत्रालय	गुट		% प्रतिशत आरक्षण का
			विशेष पिछडे हुए वर्ग		2
			अन्य पिछडे हुए वर्ग		19
			कूल		21
9	तामिलनाडू	सामाजिक न्याय और सक्षमीकरण मंत्रालय	गुट		% प्रतिशत आरक्षण का
			पिछडे वर्ग		26.5
			पिछडे वर्ग के मुस्लिम		3.5
			सबसे ज्यादा पिछडे हुए वर्ग / डीनोटीफाईड जातीयाँ		20
			कूल		50

10. राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोगने 18 फरवरी 2015 को आयोजित बैठक में निम्मलिखित प्रस्ताव पारित किया है :

"अन्य पिछडे वर्गों का उपवर्गीकरण के मामले की विस्तृत चर्चा की और सैद्धांतिक रुपसे यह मान्य किया की, अन्य पिछडे वर्गोंका उपवर्गीकरण तीन वर्गोमें किया जाए, उन वर्गों में जाती / जनजातीयों को शामिल करने के लिए मानक, यंत्रणा, मानदंड और प्राचल तय किये जाए। सदस्यों को अनुरोध किया जा रहा है की, इसलिए वे अपने दृष्टीकोन सामने रखें। सदस्य सचिव और अध्यक्ष एक प्रारुप प्रस्ताव तैयार करेंगे और 27 एप्रिल 2015 को आयोजित होनेवाली अगली बैठक में चर्चा करने के लिए सदस्योंको भेजेंगे। अगली बैठक में उसके आगेकी चर्चा होगी।"

11. अनंतरामन आयोग के दिनांक 20 जून 1970 के प्रतिवेदन के आधारपर आंध्रप्रदेश में शुरु में पिछडे वर्ग चार गुटों में विभाजित किए गये। गुट "अ" में अमूलवासी जनजातीयाँ, विमुक्त जातीयाँ, भटकनेवाली जातीयाँ और अर्धभटकनेवाली जाती इत्यादी शामिल है। गुट "ब" में टॅपर (पेडसे शराब निकालनेवाले लोग), बुनाई, सुतार, लोहार, सोनार, कामासलिन इत्यादी शामिल है। गुट "क" में जिन अनुसूचित जातीयों के लोगोंने इसाई धर्म अपनाया है वे लोग और उनके वंशज शामिल है। गुट "ड" में अन्य सब वर्ग / जातीयाँ / गुट शामिल है। इस विभाजन के अलावा अनंतरामन आयोग ने पिछडापन दूर करने के लिए और आर्थिक विकास के लिए कोई कदम उठाने की शिफारस की है।

गुट "अ", 37 जातीयाँ शामिल है, जिनका पारंपारिक व्यवसाय निम्मलिखित है : भीख माँगना, वराह पालन, मच्छीमारी, धोबीकाम, धार्मिक उपचार करनेवाले, स्मशानभूमीपर पहरेदार, खेतों में मजदूरी करना, कूली और मजदूर, बांबू का काम करनेवाले, पँछी पकडनेवाले, सफेरे, ढोल बजानेवाले, शिकारी, टोकरी बनानेवाले, ताडी निकालनेवाले (एक तरह की शराब पेडसे निकालनेवाले),मिट्टी का काम करनेवाले, इसके उपरान्त और कुछ जातीयों का समावेश किया गया। फिर भी वहाँ 52 जाती/जमातीयों में फर्क होने की वजह से कुछ असंगतियाँ है।

गुट "ब", में व्यावसायिक गुट शामिल है, जैसे बुनाई करना और धांगे के रंगकामकरने के लिए ब्रश बनानेवाले, रंगकाम करनेवाले, गुडियाँ बनानेवाले, बुनाई करनेवाले, ताडी टॅपर्स, कपास जिनिंग करनेवाले, तेल निकालनेवाले, रेशीम की बुनाई करनेवाले, कुंभार, बकरी पालनेवाले, कुंबली बनानेवाले, मजदूर, सुतार, पतिल का काम करनेवाले, लोहार, सुतार, वडार (पत्थर का काम करनेवाले) इत्यादी । इसमें पहले 25 जातीयाँ शामिल थी और बादमें उसमें 5 और जातीयाँ शामिल की गयी। आज इसमें 26 जातीयाँ शामिल है। गुट "क" में धर्मांतर किए हुए हरिजन शामिल है,

याने जिन अनुसूचित जातीयोंके लोगोंने इसाई धर्म अपनाया है वे और उनके वंशज शामिल है। गुट ''ड'' में अन्य सब जातीयाँ शामिल है जैसे खेतों के मजदूर, कसाई, बुनाई करनेवाले, दैनिक मजदूरी करनेवाले, टोकरी बनानेवाले, शिकारी, भिखारी, जीनसाजी करनेवाले, मच्छीमार, खेती करनेवाले, माली, नर्तक, गायक, कुंकूम का फुटकर व्यापार करनेवाले, कपडे सिलानेवाले, ज्यूट की बुनाई करनेवाले, मंदिर के कर्मचारी, ढोल बजानेवाले, मिट्टी काम करनेवाले, इत्यादी । पहले उसमें 33 जातीयाँ शामिल थी और अभी 46 जातीयाँ शामिल है। 2007 में 14 मुस्लिम जातीयाँ गुट ''इ'' में अन्य पिछडे वर्ग में शामिल कर दिए गये और उनको 4% आरक्षण दिया गया।

12. तीन अन्य पिछडे वर्गों का उपवर्गीकरण करने का सोचने के लिए आंध्रप्रदेशने किए हुए वर्गीकरण ध्यानमें रखना उपयुक्त होगा। यदि आंध्रप्रदेश के चारों गुटोंका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तो ऐसा प्रतित होगा की, चारों गुटों में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। एक जैसे व्यवसाय गुट अ और ड में अलग व्यवसायों के साथ पाए जाते है और इसीकारण से आज भी अमूलजाती, विमुक्त जाती, भटकनेवाली जाती और अर्धभटकनेवाली जातीयों का आरक्षण के लाभ आज भी नहीं मिल रहे है। इसलिए तत्व, मानक, दंडक और प्राचल तय करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टीकोन यंत्रणा और विचार रखना चाहिए। यदि अलग अलग गुट का विभाजन करना है, जैसे की (1) गुट अ जिसमें बहुत ज्यादा पिछडे हुए वर्ग शामिल है जैसे अमूलवासी जाती, विमुक्त जाती, भटकनेवाली जाती और अर्धभटकनेवाली जातीयाँ शामिल है। (2) गुट ब में व्यावसायिक गुट इत्यादी शामिल है, (3) गुट क में पिछडे वर्ग के खेती और व्यावसायिक जातीयाँ शामिल है। उपरोक्त अन्य पिछडे हुए वर्गों का तीन गुटोंमें उपवर्गीकरण करने के लिए पूर्ण भारतवर्ष में उपवर्गीकरण करना पडेगा ताकी जाती/जमाती को योग्य वर्गों में शामिल किए जाएँगे। इसके पहले इसके आवश्यक तत्व निर्माण करने पडेंगें। यदि अन्य पिछडे वर्गों को उनके जनसंख्या के प्रमाण में उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण करने का प्रस्ताव सरकारने स्वीकार किया तो इस वर्गीकरण की प्रणाली और रुपात्मकता शासन के सुझायी जायी सकती है। इसलिए आयोग की यह राय है की, अन्य पिछडे वर्गों का तीन गुटों में उपवर्गीकरण करना है तो आयोग को आयसीएसएसआर जैसी तज्ञ संस्था की सेवा लेनी पडेगी। इस उपवर्गीकरण के लिए हर राज्यमें पिछडे वर्गोंकी सूची का अध्ययन करना होगा। अध्ययन करते वक्त अनेक घटक ध्यानमें रखने होंगे, जैसे उनके पारंपारिक व्यवसाय, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछडापन, विविध जातीयों के बारेमें उपलब्ध प्रतिवेदन और अन्य सामग्री। इसका अध्ययन करने केंद्रीय पिछडे वर्गोंकी सूची का तीन गुटों में विभाजन करने के लिए प्रारुप प्राचल तैयार करना पडेगा। जबतक मंत्रालय अन्य पिछडे वर्गोंका तीन गुटोंमें उपवर्गीकरण करने के तत्व को मान्यता नहीं देती, तबतक इन जातीयों का वर्गीकरण करने के काम की शुरुआत करना उचित नहीं है। इसलिए

मंत्रालय को बिनती की जाए की इस बारेमें धोरणात्मक निर्णय लिया जाए और अन्य पिछडे वर्गोंका निम्मलिखित प्रारुप मानक/पद्धती के अनुसार तीन गुटोंमें उपवर्गीकरण करने के लिए तत्वतः मान्यता दी जाए :

अन्य सब पिछडे हुए वर्ग / जाती/जमाती/उपजाती/तत्सम निम्मलिखित तीन गुटोंमे उप विभाजित करने का प्रस्ताव है :

(i) <u>आत्यंतिक पिछडा हुआ वर्ग (गुट अ) :</u>

इस वर्ग में शामिल करने के लिए पिछडे हुए जातीयों में कौनसी जाती/उपजाती, जमाती आत्यंतिक तरहसे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रुपसे पिछडे है, यह पहचानने के लिए पिछडे वर्गों की सूची का परीक्षण किया जाएगा। यह अमूलवासी जाती, विमुक्त जाती, भटकनेवाली जाती और अर्धभटकनेवाली जातीयाँ इत्यादी हो सकती है, जिनका पारंपारिक व्यवसाय भीख माँगना, वराह पालन, सपेंरा, पंछी पकडना, गेम-स्निअरर, धार्मिक उपचार करनेवाले, ढोल बजानेवाले, बांबू का काम करनेवाले, शिकारी, मजदूर, खजूर के पेडके पत्तोसे चटई बनानेवाले, टोकरी बनानेवाले, खेतीमें काम करनेवाले, मजदूर, मिट्टीमें काम करनेवाले, नैया चलानेवाले, इत्यादी था या है।

(ii) <u>ज्यादा पिछडे वर्ग (गट ब) :</u>

इस गुट में निम्मलिखित विविध व्यावसायिक गुट शामिल होंगे, जिनका व्यवसाय बुनाई लूम के लिए और रंगकाम के लिए ब्रश बनाना, रंगकाम, गुडियाँ बनाना, बुनाई करना, ताडी-टॅपर्स (पेडसे शराब निकालनेवाले), कपास, जिनिंग, तेल निकालना, रेशिम बुनाई करना, कुंभार, बकरी पालना, मिट्टी का काम, ज्युट की बुनाई, गनी बॅग तैयार करना, कसाई काम, शिलाई करना, मच्छी मारना, माली काम, नृत्य करना, गाना, न्हाई काम करना, कुंकूम और कंगन में फुटकर व्यापार करना, धोबीकाम करना ऐसे व्यवसाय था, या है ऐसे लोग। इसके अलावा जिन अनुसूचित जाती के लोगोंनें इसाई धर्म अपनाया है वे लोग और उनके वंशज भी इस गुट में शामिल है।

(iii) <u>पिछडे हुए वर्ग (गट क) :</u>

जब पिछडे हुए वर्गों में आत्यंतिक पिछडे हुए वर्ग और अधिक पिछडे हुए वर्गों की पहचान की जा रही है उसी समय पिछडे हुए वर्गों में तुलनात्मक तरहसे प्रगत जाती कौनसी है यह

पहचानना इस प्रक्रिया की अगली कडी होगी। इसमें जमीन के मालिक, खेती उपजानेवाली जातीयाँ, खेती करनेवाले, व्यवसाय और व्यापार करनेवाली जातीयाँ / जनजातीयाँ और तुलनात्मक तरहसे प्रगत जाती/जमातीयाँ इत्यादी।

13. अन्य पिछडे वर्गों का 3 गुटों में उपवर्गीकरण करने का काम उपरोक्त पद्धतीसे करना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव रखने के लिए भारतीय सामाजिक अभ्यास संस्था (आय.सी.एस.एस.आर.) जैसी तज्ञ संस्था की तज्ञ राय प्राप्त करना जरुरी है। यह राय निम्मलिखित कार्य के लिए जरुरी है। अन्य पिछडे वर्गो में कौनसे मानक, दिशादर्शक पद्धती और निकष अपनाने है यह सुनिश्चित करना। अन्य पिछडे वर्गो के 3 गुटों में वर्गीकरण का उपरोक्त प्रस्ताव मंत्रालय ने मान्य करने के बाद अगला चरण यह होगा की जातीयों का उनके पात्रता और हक के अनुसार उनका उचित गुट में विभाजन करना।

14. जाती / जनजाती / उपजाती / तत्सम इनको पहचान कर उन्हे उचित गुट में विभाजन करके उन्हे आत्यंतिक पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, या पिछडा वर्ग इन तीन गुटों में विभाजन करने के कार्य का प्रथम चरण पूरा होने के बाद भारतीय सामाजिक अभ्यास संस्था (आय.सी.एस.एस.आर.) जैसी तज्ञ संस्था की सेवा फिरसे लेने का प्रस्ताव है। इस वक्त उन्हे यह बिनती की जाएगी की वे पूरे देशमें सर्वेक्षण करें और उपरोक्त पद्धतीसे उपरोक्त दर्शक मानकर हर राज्य के लिए अन्य पिछले वर्ग की उपरोक्त गुटों के अनुसार सूचियाँ तैयार करें।

15. सामाजिक न्याय सक्षमीकरण मंत्रालय को बिनती की जाएगी की, इस कार्य का प्रथम और दुसरा चरण शुरु करने का प्रचंड काम शुरु करने के लिए वे खास निधी दे दे। इस कार्य के लिए भारतीय सामाजिक अभ्यास संस्था (आय.सी.एस.एस.आर.) को बिनती की जाएगी की वह एक तज्ञ गुट का गठन करे, जिन्हे हर राज्य के पिछडे वर्गों की रुपरेखा पूरी तरहसे ज्ञात है। इस प्रकल्पकों समयमें पूरा करने के लिए भारतीय सामाजिक अभ्यास संस्था (आय.सी.एस.एस.आर.) एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें और मंत्रालय से आवश्यक निधी प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय प्रस्ताव तैयार करें।

16. भारतीय सामाजिक अभ्यास संस्था (आय.सी.एस.एस.आर.) का कार्य होने के बाद राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग भारतीय सामाजिक अभ्यास संस्था (आय.सी.एस.एस.आर.) के प्रारुप सिफारिसोंका विचार करेंगें, अपने अनुभवों को ध्यानमें रखते हुए और अन्य तज्ञोंकी मदद लेकर पिछडे वर्गोंकी उपवर्गीकृत राज्यनिहाय सूची को अंतीम रुप देगी। इसलिए जहाँ जहाँ उसमें बदलाव करना आवश्यक है, वहाँ

वहाँ किए जाएँगे। अत्यंत पिछडे वर्ग, ज्यादा पिछडे वर्ग और पिछडे वर्ग में स्पष्ट फर्क जानने के लिए जाहीर सुनवाई भी की जा सकती है। आयोगने मान्यता दी हुई यह अंतीम सूची के आधारपर मंत्रालय को उनकी मान्यता के लिए और अगले आदेश के लिए आयोग अपनी औपचारिक सिफारिस / सलाह भेजे।

(न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरैया)
अध्यक्ष

(एस.के.खारवेथन)
सदस्य

(अे.के. सैनी)
सदस्य

(शकील-उझे-झमान अन्सारी)
सदस्य

(अे.के. मनगोत्रा)
सदस्य-सचिव

नई दिल्ली
दिनांक 27 फरवरी 2015